पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) सं.- 1697

वर्ष 2020 के थाना वाद सं.- 37, थाना- सिकरौल, जिला-बक्सर।

==

प्रियंका कुमारी, पुत्री- सुरेश पासवान, गाँव के निवासी और डाकघर- बेलहारी, थाना- सिकरौल, जिला-बक्सर।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. भीम पासवान, पुत्र- विश्वनाथ पासवान, ग्राम के निवासी- बेलहारी, थाना- सिकरौल, जिला-बक्सर।
3. झुना पासवान, पुत्र- कमलेश पासवान, ग्राम के निवासी- बेलहारी, थाना- सिकरौल, जिला-बक्सर।

.... **उत्तरदाता/गण**

==

इस आपराधिक अपील में - अपीलकर्ता ने 07.03.2022 की तारीख को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- षष्टम – सह विशेष न्यायालय - पोक्सो एक्ट, बक्सर द्वारा पारित दोषमुक्ति / रिहाई के फैसले को चुनौती दी है। प्रतिवादियों को धारा 354, 452, 380 आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था।

अपीलकर्ता का कथन है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों को रिहा करने में गलती की है - जबकि पीड़ितों और गवाहों के विश्वसनीय बयान मौजूद थे-अपीलकर्ता का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को सही तरीके से आकलन नहीं किया और इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि प्रतिवादी संख्या 3 का गंभीर आपराधिक इतिहास हैं - अपीलकर्ता का यह भी दावा है कि गवाहों के बयानों में छोटी-छोटी विसंगतियों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि दोषमुक्ति एव रिहाई सही था क्योंकि अभियोजन पक्ष के सबूतों में गंभीर विसंगतियाँ थीं और पार्टियों के बीच अच्छे संबंधों की कमी थी, जिससे आरोपों पता चलता है कि झूठा और मनगढंत थे। उनका कहना था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।

राज्य सरकार ने प्रतिवादियों के रिहाई का समर्थन किया, गवाहों के बयानों में सामग्री विरोधाभास और घटना के तरीको को लेकर विसंगतिया इंगित कीं—प्रथम इतिला रिपोर्ट दर्ज करने में देरी और स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति ने भी अभियोजन के केस को कमजोर कर दिया।

अभिनिर्धारण- गवाहों के बयानों में विरोधाभास- अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में घटना के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास उदाहरण स्वरूप, घटना के स्थान और परिस्थितियों को लेकर बयानों में असंगतियाँ पर प्रकाश डाला गया। पीड़ितों द्वारा घटना की स्थानीय अधिकारियों को तुरंत जानकारी नहीं देने और **FIR** दर्ज करने में देरी भी संदिग्ध थी। अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादियों से चोरी की गई वस्तुएं बरामद करने में विफलता प्राप्त की, जो कि केस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति ने भी अभियोजन पक्ष के केस को कमजोर कर दिया- इस अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। साक्ष्यों में विरोधाभास और विसंगतियां इतनी पर्याप्त थी कि प्रतिवादियों को बरी करना उचित ठहराया जा सके।

अतः, परिणामस्वरूप - अपील खारिज की जाती है। निचली अदालत के रिकॉर्ड को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाए।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) सं.- 1697

वर्ष 2020 के थाना वाद सं.- 37, थाना- सिकरौल, जिला-बक्सर

==

प्रियंका कुमारी, पुत्री- सुरेश पासवान, गाँव के निवासी और डाकघर- बेलहारी, थाना- सिकरौल, जिला-बक्सर।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. भीम पासवान, पुत्र- विश्वनाथ पासवान, ग्राम के निवासी- बेलहारी, थाना- सिकरौल, जिला-बक्सर।

3. झुना पासवान, पुत्र- कमलेश पासवान, ग्राम के निवासी- बेलहारी, थाना- सिकरौल, जिला-बक्सर।

.... उत्तरदाता/गण

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री रमेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं.2 एवं 3 के लिए	:	श्री बृज मोहन कुमार सिंह, अधिवक्ता,
		श्री डॉ. संजय कुमार सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता	:	श्री सैयद अशफाक अहमद, एपीपी

==

कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

तारीखः07-03-2024

1. पार्टियों को सुना।

2. तत्काल अपील 2021 के पॉक्सो मामले संख्या 27 (2021 का सी. आई. एस. संख्या 27) के संबंध में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-**VI**-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, बक्सर द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो 2020 के सिक्रोल थाना मामले संख्या 37 से उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा और जिसके द्वारा प्रतिवादी सं. 2 और 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354,452,380 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराधों से बरी कर दिया गया है, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया।

3. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री रमेश कुमार सिंह ने समर्पित किया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल पांच गवाहों से पूछताछ की, जिनमें पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 पीड़ित थे और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया और दोनों पीड़ित घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु के थे और पीड़ितों की मां, जिनसे पीडब्लू-3 के रूप में पूछताछ की गई थी, ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। यह आगे समर्पित किया जाता है कि पीडब्लू-4, जो सूचना देने वाली की सबसे छोटी बहन है, अपनी दोनों बहनों (पीड़ितों) के साथ सो रही थी और वह खुद घटना की गवाह थी और निचली अदालत के समक्ष उसने अभियोजन पक्ष के आरोप का समर्थन किया और जांच अधिकारी पीडब्लू-5 ने औपचारिक प्राथमिकी साबित की और कहा कि प्रतिवादी नं.3 के विरुद्ध तो अपराधिक इतिहास है और उसने पीड़ितों में से एक की उम्र का पता लगाने के लिए बेलहारी मिडिल स्कूल से आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसके निष्कर्ष के अनुसार, उक्त पीड़ित एक नाबालिग लड़की थी। यह आगे समर्पित किया जाता है कि निचली अदालत के अनुसार, प्रतिवादी नं. 3, अर्थात भीम पासवान के खिलाफ छह आपराधिक मामले थे, लेकिन इस तथ्य के साथ-साथ अन्य भौतिक साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए, प्रतिवादी सं. 2 और 3 को आरोपित अपराधों से गलत तरीके से बरी कर दिया गया और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से

सराहना नहीं की गई और छोटे विरोधाभास, जो अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में विभिन्न कारणों से संभावित थे, केवल विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थियों को बरी करते समय विचार में लिया गया था।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी सं. 2 एवं 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बृज मोहन कुमार सिंह समर्पित करते हैं कि प्रत्यर्थियों के खिलाफ लगाए गए अभियोजन पक्ष का आरोप पूरी तरह से गलत है और विद्वत निचली अदालत ने प्रत्यर्थियों को सही ढंग से बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों के बयानों में गंभीर और महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं और स्वीकार किया कि कथित घटना के समय दोनों पक्षों के बीच कोई अच्छा संबंध नहीं था, जिसके कारण प्रत्यर्थी सं. 2 एवं 3 के खिलाफ एक झूठी कहानी गढ़ी गई थी लेकिन अभियोजन पक्ष प्राथमिकी में वर्णित उक्त कहानी को साबित करने में सफल नहीं हो सका। इसलिए, इस अपील में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी श्री सैयद अशफाक अहमद समर्पित करते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों में, विशेष रूप से घटना के तरीके के संबंध में, भौतिक विरोधाभास हैं और तथाकथित पीड़ित प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुरूप नहीं रहे।

6. दोनों पक्षों को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्रियों का अध्ययन किया। अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार, सूचना देने वाला रात में लगभग 11:30 अपराह्न बजे अपनी दो बहनों के साथ सो रहा था। उत्तरदाताओं अर्थात् भीम पासवान और झुना पासवान, ने उसके घर की पीछे की दीवार को कूद गया और उसके घर में घुस गए और उसे गाली देने लगे और उसका हाथ भी पकड़ लिया। उसने आगे आरोप लगाया कि उत्तरदाताओं ने उसे जान से मारने की धमकी दी, अगर वह शोर मचाती है और उसके बाद उसकी माँ के गहने, उसका मैट्रिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासबुक, चांदी की पायल और रु. 6000/- एक डिब्बे में रखे गए को प्रत्यर्थियों द्वारा हटा दिया गया और उक्त वस्तुओं को

उनके द्वारा ले लिया गया। इस आरोप के अनुसार, सूचना देने वाली अपनी दो बहनों के साथ सो रही थी और घटना के दौरान, उत्तरदाताओं ने उसका हाथ पकड़ लिया लेकिन निचली अदालत के सामने, उसने गवाही दी कि घटना के समय वह केवल अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी। उसने आगे कहा कि उत्तरदाता *पायल*, कान की बाली (*झुमका*) और रुपये 6000/- जो एक डिब्बे में रखे गए थे, ले गए। लेकिन प्राथमिकी में, उसने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने गहने के अलावा उसका मैट्रिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासबुक और रुपये 6,000/- की नकद राशि ले ली। इस गवाह के साक्ष्य के अनुसार प्रतिवादी और पीड़ित की मां पहले से ही मुकदमेबाजी की शर्तों पर थे।

7. पीडब्लू-2, जिसे पीड़ित भी कहा जाता है, ने बयान दिया कि वे दूसरे कमरे में थे जब उत्तरदाता सामान ले जा रहे थे और शोर सुनकर वे दूसरे कमरे में घुस गए, फिर उत्तरदाता सामान लेकर चले गए। उक्त बयान प्राथमिकी में वर्णित अभियोजन पक्ष की कहानी के पूरी तरह से विरोधाभासी है।

8. पी. डब्ल्यू.-1 पैराग्राफ नं. 17 में प्रतिपरीक्षा में अपदस्थ घटना के समय वह रो पड़ी लेकिन बाहर से कोई उसे बचाने नहीं आया। उक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस गवाह के अनुसार इस गवाह के घर के पास और आसपास कई घर हैं। इस गवाह ने आगे पैराग्राफ नं. 18 में अपनी प्रतिपरीक्षा बयान दिया कि घटना के बाद अगली सुबह कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया और उन्होंने *मुखिया, सरपंच या चौकीदार* से कोई शिकायत नहीं की। पीड़िता के परिवार की ओर से *मुखिया, सरपंच या चौकीदार* के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं करने या न करने का उक्त आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है और अभियोजन पक्ष के आरोप में गंभीर संदेह पैदा करता है।

पीडब्लू. 1 ने अपदस्थ किया कि वह और उसकी बहनें पूर्वी तरफ स्थित एक कमरे में सो रही थीं, लेकिन पीडब्लू-2, जो पीडब्लू-1 की बहन है, ने बताया कि वे उसके घर के पश्चिम की ओर स्थित एक कमरे में सो रहे थे। इसलिए, अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों द्वारा उस कमरे के स्थान के बारे में एक विरोधाभासी बयान दिया

गया, जिसमें पीड़ित सो रहे थे। इसके अलावा पीडब्लू-2 के साक्ष्य के अनुसार, जब वह और उसकी बहनें सो रही थीं तो उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित के कमरे का उक्त दरवाजा तोड़ने का कोई आरोप नहीं है, इसलिए यह तथ्य कि प्रतिवादी पीड़ितों के कमरे में कैसे घुसे जब उनके कमरे का दरवाजा बंद था, अभियोजन पक्ष द्वारा समझाया नहीं गया था। कथित घटना के बारे में कहा जाता है कि यह घटना 20.03.2020 की रात में हुई थी, लेकिन पीड़ितों में से एक ने 23.03.2020 को एक लिखित आवेदन (प्रदर्श-1) दायर करके प्राथमिकी दर्ज की थी और प्राथमिकी दर्ज करने में तीन दिनों की देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा ठीक से समझाया नहीं गया था।

9. पीडब्लू-3, जो पीड़ितों की माँ होती है, ने बयान दिया कि कथित घटना के समय, उत्तरदाताओं ने उसकी दो बेटियों के हाथ पकड़ लिए, लेकिन प्राथमिकी के अनुसार, उत्तरदाताओं ने केवल सूचना देने वाले का हाथ पकड़ लिया।

पीडब्लू-3, पीड़ितों की माँ ने बयान दिया कि उसने अपने सह-ग्रामीणों, *सरपंच, मुखिया* या पड़ोसियों को घटना के बारे में सूचित नहीं किया। इस गवाह का उक्त आचरण अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि सामान्य रूप से इस तरह की घटना जब किसी गाँव में होती है, तो जन प्रतिनिधियों और पड़ोसियों को घटना के बारे में सूचित किया जाता है।

पीडब्लू-3 ने अपदस्थ किया कि दीवार पर चढ़ने के कुछ संकेत थे, लेकिन घटना स्थल की जांच और निरीक्षण करने वाले जांच अधिकारी ने अपदस्थ किया कि उन्हें उक्त दीवार पर घटना का कोई संकेत नहीं मिला।

10. यहाँ, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जाँच के दौरान, पुलिस प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 के कब्जे से चोरी की किसी भी वस्तु को बरामद करने में विफल रही।

11. घटना के तरीके और अन्य प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों के साक्ष्य से सामने आने वाले पूर्व उल्लिखित विरोधाभासों के आलोक में और एक स्वतंत्र व्यक्ति से पूछताछ न करने के कारण भी, यह अदालत यह राय बनाती है कि अभियोजन पक्ष निचली अदालत के समक्ष अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा और प्रतिवादियों को आरोपित अपराधों से सही ढंग से बरी कर दिया गया है और विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, इस अदालत को इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

12. एल. सी. आर. को निचली अदालत में तुरंत वापस भेजा जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।